

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

॥ आदेश ॥

विभागीय ज्ञापांक-4948 दिनांक-23.09.2025 एवं ज्ञापांक-5240 दिनांक-13.10.2025 द्वारा सुश्री श्रुति, सहायक निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना प्रतिनियुक्त सहकारिता विभाग, बिहार, पटना से दिनांक-18.09.2025 के अपराह्न 04:00 बजे विकास आयुक्त बिहार के अध्यक्षता में Strategy Room/Digital Experience Center हेतु Hybrid Mode में निर्धारित बैठक से पूर्व वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराये जाने, विभाग द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों के प्रगति से संबंधित कोई प्रतिवेदन विभाग को समर्पित नहीं किये जाने तथा अन्य बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी।

उक्त के आलोक में सुश्री श्रुति, सहायक निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरांत स्पष्टीकरण संतोषप्रद न पाते हुए सुश्री श्रुति, सहायक निदेशक, योजना एवं विकास विभाग प्रतिनियुक्त सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को भविष्य में अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहने हेतु चेतावनी संसूचित की जाती है।

साथ ही सहकारिता विभाग के कार्यों के सूचारु रूप से कार्यान्वयन हेतु सुश्री श्रुति को प्रत्येक कार्य दिवस एक निश्चित समय निर्धारित कर सहकारिता विभाग में उपस्थित रहने एवं आदेशानुसार निर्धारित बैठकों/अन्य आवश्यक कार्यों हेतु ससमय उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है।

इसमें सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./-

(कुमारी आरती)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 5813 / पटना, दिनांक : 21/11/25

07/सह0 (विविध)-19/2025

प्रतिलिपि :

सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव/उप सचिव (प्र०-1 एवं 2)/प्रशाखा पदाधिकारी (प्र०-1 एवं 2), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सुश्री श्रुति, सहायक निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना प्रतिनियुक्त सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आई.टी. मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1
15/21
21-11-2025



विशेष कार्य पदाधिकारी।